5-8

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या 436 / XXIV(1) / न0सृ0अनु0 / 114 / 2017 T.C.V

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा (नवसृजित) अनुभाग देहरादूनः दिनांक 21 अप्रैल, 2018

विषय:- शिक्षा सत्र 2018-19 के लिए डी0बी0टी0 योजना के फलस्वरूप कक्षा 1 से 12 तक की सशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ निविदा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2201 / पा0पु0 / 2018-19 दिनांक 21 अप्रैल, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निविदा की सुरक्षा धनराशि (Performance Security) की दर बहुत अधिक होने के कारण निविदादाता फर्मों द्वारा प्रतिभाग नहीं किये जाने के दृष्टिगत पाठ्यपुस्तकों की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु दरों के निर्धारण के लिए की जा रही निविदा की न्यूनतम सुरक्षा धनराशि को 05 (पाँच) प्रतिशत के स्थान पर 01 (एक) प्रतिशत किये जाने की अनुमति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के अनुसार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के नियम-71 (4) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन उक्त नियमावली के नियम-44 के उप नियम (ख) में पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ निविदा की सुरक्षा धनराशि (Performance Security) (कार्यपूर्ति गारन्टी) को विशेष परिस्थितियों में एक बार के लिए 05 (पॉच) प्रतिशत के स्थान पर 01 (एक) प्रतिशत किये जाने की एतदद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

21/4/18

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा
हस्ताक्षर 21-4-18
दिनांक
उत्तराखण्ड, देहरादून